न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 37/2019 Gcms No. 2019/00215

दायरा तिथि : 17.06.2019

प्राथमिक डिक्री दिनांकः 29.07.2021 फाईनल डिक्री दिनांक 21-12-2021

वादी :–

सामताराम पुत्र श्री भुताजी जाति गरासिया
निवासी मालप हाल निवासी कालागढा नाना तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. भूराराम पुत्र मांगाजी जाति गरासिया
   निवासी मालप हाल निवासी कालागढा नाना तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री ओम प्रकाश दवे — अभिभाषक वादी की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या–01.........अनुपस्थित
3. श्री नरेन्द्र चौहान नायब तहसीलदार.................. पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक : 21-12-2021

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम नाना पटवार हल्का नाना तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 212 रकबा 1.23 हैक्टर किस्म बारानी सायम, खसरा नंबर 216 रकबा 3.22 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 4.45 हैक्टर वार्षिक लगान 21.02 रूपये के संबध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वर्णित भूमि की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 की प्रति प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर सम्मन तामील के बावजुद प्रतिवादी संख्या–01 वकालतन/असालतन न्यायालय में अनुपस्थित रहने से न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20.10.2020 से प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–02 तहसीलदार, बाली फोरमल पक्षकार होने तथा पर्याप्त समय अवसर के बावजुद जबावदावा पेश नहीं करने से प्रतिवादी संख्या–02 तहसीलदार, बाली का जबाव अवसर बंद करते हुये प्रकरण रेकर्डेड खातेदारो के मध्य विभाजन का होने से वादी अधिवक्ता व पैरोकार सरकार की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने बाबत् बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम नाना पटवार हल्का नाना तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 212 रकबा 1.23 हैक्टर किस्म बारानी सायम, खसरा नंबर 216 रकबा 3.22 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 4.45 हैक्टर वार्षिक लगान 21.02 रूपये के सबंध में वादी व प्रतिवादी संख्या–01 के रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार अनुसार पक्षकारो के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के टिनेन्सी एक्ट. की धारा 53 के तहत विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.07.2021 को पारित की गई। प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांकः/ भू.अ./2021/937 दिनांक 01.11.2021 से वादग्रस्त भूमि का पक्षकारो में विभाजन करते हुये निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की :–

क्रं. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	नक्शे में दर्शित रंग
01	समाताराम पुत्र भुताजी जाति ग्रासिया सा. मालप जिला सिरोही खातेदार	212 216	1.23 हैक्टर 0.995 हैक्टर	बारानी तृतीय बारानी दोयम	4.92 4.975	पीला
		02	**2.225 हैक्टर**		**9.895**	
02	भूराराम पुत्र मांगाजी जाति ग्रासीया निवासी मालम जिला सिरोही खातेदार	216/1	2.225 हैक्टर	बारानी दोयम	11.125	हरा
		01	**2.225 हैक्टर**	**बारानी दोयम**	**11.125**	

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् जाहिर हैं कि प्रस्तुत रिपोर्ट जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार ही है तथा उक्त विभाजन के संबध में वादी अथवा प्रतिवादी किसी पक्ष द्वारा किसी प्रकार का एतराज/आपत्ति भी पेश नहीं की गई हैं।

पेज लगातार...........02

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 37/2019 Gcms No. 2019/00215
अनवान सामताराम बनाम भूराराम वगैरा
अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

जिससे प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुसार फाईनल डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित है। अतः पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम नाना पटवार हल्का नाना तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 212 रकबा 1.23 हैक्टर किस्म बारानी सायम, खसरा नंबर 216 रकबा 3.22 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 4.45 हैक्टर वार्षिक लगान 21.02 रूपये के सबंध में वादी एवं प्रतिवादी संख्या– 01 के मध्य तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन रिपोर्ट के अनुसार टिनेन्सी एक्ट की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

क्रं. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	नक्शे में दर्शित रंग
01	समाताराम पुत्र भुताजी जाति ग्रासिया सा. मालप जिला सिरोही खातेदार	212 216	1.23 हैक्टर 0.995 हैक्टर	बारानी तृतीय बारानी दोयम	4.92 4.975	पीला
		02	**2.225 हैक्टर**		**9.895**	
02	भूराराम पुत्र मांगाजी जाति ग्रासीया निवासी मालम जिला सिरोही खातेदार	216/1	2.225 हैक्टर	बारानी दोयम	11.125	**हरा**
		01	**2.225हैक्टर**		**11.125**	

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। लगान राशि 21.02 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद के साथ नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, नाना को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 21-12-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner